जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक– 20.12..2014 को 1:00 बजे अपराह्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रक्सौल का स्थल निरीक्षण एवं ए0एन0एम0/आशा के साथ स्वास्थ्य विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

A. स्थल निरीक्षण

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रक्सौल का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय सिविल सर्जन, डी0पी0एम, डा0 तनु, केयर इण्डिया, श्री धर्मेन्द्र कुमार, यूनिसेफ, स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, बी0एच0एम0 तथा बी0सी0एम0 भी उपस्थित थे, परन्तु डा0 शरदचन्द्र वर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि इनके सकिय योगदान से कोल्ड चेन में अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुई है। स्थल निरीक्षण के कम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

1.0 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भविष्य में बगैर सक्षम पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए अवकाश में प्रस्थान नहीं करेंगे।

2.0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवन काफी जर्जर स्थिति में है। ड्रेसिंग रूम के बाहरी दिवाल पर पेंड़ उगने के कारण दिवाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ड्रेसिंग रूम में बेड, स्ट्रेलाईज बॉक्स, बेटाडीन, कैंची, आदि उपकरण उपलब्ध है। इस कमरे में चारो तरफ गन्दगी है और पंखा तथा वेसिन भी गन्दा है। पुराना एक आलमीरा एवं एक बक्सा में कबाड़ रखा गया है। अनुपयोगी सामग्रियाँ यत्र–तत्र रखी हुई पाई गईं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अप्रसन्नता प्रकट करते हुए बक्सा, आलमीरा एवं अनुपयोगी सामग्रियों को हटाकर अन्यत्र रखने का निदेश दिया गया। साथ ही सिंक/पुराने उपकरण Replace करने, पंखा/ड्रेसिंग रूम की साफ–सफाई कराने तथा Hand wash उपलब्ध रखने का निदेश दिया गया।

3.0 ड्रेसिंग रूम से Inter connected labour room में रोगियों के लिए 04 बेड लगा हुआ पाया गया, जिसका मैट्रेस खराब है। बेड पर बेड सीट नही पाया गया। इस कमरे में स्ट्रेलाईजर, बॉयलर उपलब्ध नही पाया गया। कमरा बहुत गंदा एवं जर्जर स्थिति में है।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बेड पर बेड सीट एवं सभी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहे तथा कमरे साफ–सफाई नियमित रूप से करायी जाय।

4.0 एन.बी.सी.सी. कमरा में एन0बी0सी0सी0 मशीन एवं स्टेबलाईजर उपलब्ध पाया गया, परन्तु कम वोल्टेज के कारण मशीन मे काफी आवाज है। स्थल निरीक्षण के समय बताया गया कि ए0एन0एम0 एस.बी.ए. प्रशिक्षित नहीं हैं। स्थल निरीक्षण के क्रम में यह निदेशित किया गया कि एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 को ही प्रसव कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जाय।

5.0 आर0एन0टी0सी0पी0 कमरा जर्जर स्थिति में है। इस कमरा में लैब कार्यरत है। हिमोसाईको मीटर नहीं रहने के कारण खून की जाँच नही होना बताया गया। इस स्वास्थ्य केन्द्र में Incubator भी नही है। श्री समशाद, लैब टेकनिशियन खून जाँच नही करते हैं, इसलिए इनसे कारण पृच्छा करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

6.0 जिला से निर्गत चेक लिस्ट का अनुपालन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं किया जा रहा है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

एम्बुलेन्स की सुविधा के संदर्भ में पृच्छा करने पर बी0एच0एम0 द्वारा बताया गया कि इस प्राथमिक
7.0 स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेन्स उपलब्ध है। पृच्छा करने पर बी0सी0एम0 द्वारा बताया गया कि कल 02
रोगी एवं आज 01 रोगी को भर्ती किया गया। 01 रोगी को एम्बुलेन्स से लाया गया था एवं 02
रोगी को पहुँचाया गया। प्रत्येक माह 200–250 रोगी आते हैं एवं 05–07 रोगी Refer किया जाता
है।

प्रत्येक गर्भवती माँ को एम्बुलेन्स से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाने और प्रसव के बाद
पहुँचाने, खून, HIV एवं अल्ट्रासाउण्ड की जाँच कराने, वजन तथा ब्लड प्रेसर मापने का निदेश
दिया गया।

एक वार्ड में चादरयुक्त 04 बेड उपलब्ध पाया गया और प्रतिरक्षण कक्ष का छत जर्जर स्थिति में
8.0 पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रक्सौल में लचर सफाई व्यवस्था, भवन/कमरों की जर्जर
स्थिति एवं चिकित्सा/जांच व्यवस्था, आदि के संबंध में अनुपालन नहीं करने के लिए प्रभारी
चिकित्सा पदाधिकारी, रक्सौल अपना स्पष्टीकरण देंगे।

कोल्ड चेन कमरा में 02 फ्रिजर एवं 02 स्टेबलाईजर उपलब्ध है। कोल्ड चेन पंजी संधारित पाया
9.0 गया। सर्वे पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, जिसके आधार पर ड्यू लिस्ट तैयार किया जाता है।
आर0आई0 कार्ड एवं ड्यू लिस्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा देखा गया। श्री धर्मेन्द्र कुमार, यूनिसेफ द्वारा
बताया गया कि डॉ0 शरदचन्द्र वर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी 02 माह से इसके प्रभार में हैं
और उनके द्वारा ठीक से कार्य करने के कारण कोल्ड चेन में अपेक्षित प्रगति हुई है।

RI Site पर सर्वे पंजी उपलब्ध रहना चाहिए, परन्तु इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के RI Site
पर सर्वे पंजी उपलब्ध नही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस बात पर असंतोष प्रकट किया गया कि सर्वे
पंजी 40 प्रतिशत, ड्यू लिस्ट एवं उसका अद्यतीकरण 60 प्रतिशत अद्यतन ए0एन0एम0 की
जिम्मेवारी है, परन्तु अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन किसी भी ए0एन0एम0 के विरूद्ध कोई कार्रवाई
नही होती है। RI Site पर सर्वे पंजी उपलब्ध रखने तथा कार्य के प्रति उदासीन ए0एन0एम0 के
विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य के दक्षिण तरफ भवन पर पेड़ उगा हुआ पाया गया, जिससे भवन क्षतिग्रस्त एवं
10.0 अनुपयोगी है। उक्त भवन का जीर्णोद्धार कर रैन बसेरा के रूप में परिवर्तित करने का निदेश दिया
गया।

(अनुपालन– सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रक्सौल/डी0पी0एम0, मोतिहारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रक्सौल)

B. बैठक स्थल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में सभी ए0एन0एम0 एवं आशा के साथ स्वास्थ्य विभागीय कार्यक्रमों की गतिविधियों के संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभागीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित सभी ए0एन0एम0 एवं आशा को सम्बोधित करते हुए बैठक के उदेश्यों से अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकलापों के आँकड़ों की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। ए0एन0एम0 एवं आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। उनसे अपेक्षा कि गई कि वे अपना सक्रिय योगदान देकर स्वास्थ्य विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए आम जनता का विश्वास हासिल करें। आँगनबाड़ी केन्द्रों के साथ

समन्वय करना उनकी जिम्मेवारी है। ए0एन0एम0 एवं आशावार समीक्षा के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न निदेश दिए गए :–

1.0 प्रतिरक्षण

1.1 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह ए0एन0एम0 एवं आशा की बैठक आयोजित कर समीक्षा करेंगे और खराब प्रदर्शन करने वाली ए0एन0एम0/आशा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तीन दिनों के अन्दर उन्हें चयनमुक्त करने की अनुशंसा करेंगे।

1.2 प्रतिरक्षण कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कृत करने एवं खराब प्रदर्शन करने वाले को चिन्हित कर दंडित करने का निदेश दिया गया।

1.3 RI Site का सर्वे कर पंजी अद्यतन कर उसके आधार पर ड्यू लिस्ट तैयार करने का निदेश दिया गया। सर्वे पंजी को RI Site पर अवश्य ले जाने तथा टीकाकरण के बाद उसे वहीं अद्यतन करने का भी निदेश दिया गया।

1.4 01 जनवरी, 2015 तक पूरे जिले में 100 प्रतिशत RI सुनिश्चित करने और आशा के लिए दोबारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षणोंपरान्त उनके बेसिक मानसिक ज्ञान की जांच की जाय और इसमें अनुत्तीर्ण होने वाली आशा को पुनः अगले सप्ताह प्रशिक्षण में बुलाया जाय। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक वे उत्तीर्ण नहीं हो जाती।

1.5 सभी आशा कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाते हुए ड्यू लिस्ट के आधार पर 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण अवश्य करें।

(अनुपालन–सिविल सर्जन/डी0पी0एम0/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

2.0 परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण एवं नसबन्दी)

2.1 प्रत्येक आशा को प्रत्येक माह में अधिक–से–अधिक संख्या में महिला बन्ध्याकरण तथा कम–से–कम 01 पुरूष नसबंदी कराने का लक्ष्य दिया गया।

2.2 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बन्ध्याकरण/नसबंदी में असंतोषजनक उपलब्धि वाली आशा को चिन्हित करेंगे और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। सभी आशा 03 दिनों के अन्दर बन्ध्याकरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें एवं इच्छुक व्यक्तियों का निबंधन करावें। यदि उनके द्वारा 03 दिनों के अन्दर निबंधन नहीं किया जाता है, तो ऐसे आशा को चिन्हित करते हुए उन्हें पद मुक्त करने की अनुशंसा संबंधित मुखिया को करेंगे। मुखियागणों से यह अपेक्षा की गई कि जो आशा कार्य नही करती हैं, उन्हें पदमुक्त किया जाय।

2.3 50 प्रतिशत तक उपलब्धि वाली ए0एन0एम0 द्वारा यदि जनवरी, 2015 में 100 प्रतिशत उपलब्धि नही प्राप्त की जाती है तो सिविल सर्जन उन्हें निलम्बित करने की कार्रवाई करेंगे।

2.4 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महादलित टोलों का भ्रमण कर बन्ध्याकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तथा कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाते हुए 100 प्रतिशत बन्ध्याकरण का लक्ष्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.5 प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास मित्रों की बैठक आयोजित कर पुरूष नसबंदी के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु निदेशित करेंगे।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

3.0 जे0बी0एस0वाई

3.1 कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाते हुए जे0बी0एस0वाई में 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

4.0 अन्य कार्य

4.1 यह सुनिश्चित करें कि 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही हो और किसी बच्चा का जन्म घर पर नहीं हो। यदि कोई बच्चा घर पर जन्म लेता है तो इसकी जिम्मेवारी ए0एन0एम0 एवं आशा पर निर्धारित की जाएगी।

4.2 प्रसव योग्य माँ को एम्बुलेन्स से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया जाय और प्रसवोपरान्त उन्हें पहुँचाया जाय।

4.3 संस्थागत प्रसव की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसकी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

4.4 आशा के रहने के लिए उनकी मांग पर कमरा एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनुमण्डलीय अस्पताल का जीर्णोद्धार कराकर उन्हें आशा के आवासन के लिए उपलब्ध कराएँगे।

4.5 बैठक मे यह शिकायत प्राप्त हुई कि लाभार्थी को चेक से भुगतान होता है, परन्तु बैंक मित्र 05–06 माह से पास बुक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–406/गो0, मोतिहारी, दिनांक–11 वीं जनवरी, 2015

प्रतिलिपि सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह–मेन्टर, रक्सौल/डी0पी0एम0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला आई0टी0 प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

11/2

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।